

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : Tr. No. 14/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : मेरस (6/21/2020) अर्चना अर्चना

CGRERA-P-Exc.m.Pro-2019-707

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

08/06/21

प्रकरण आज V.C के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदकगण द्वारा श्री डेगेश्वर बंजारे अधिवक्ता।

अनावेदिका द्वारा श्री शुक्ला अधिवक्ता।

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री डेगेश्वर बंजारे ने ईमेल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में आवेदकगण ने एवं अधिवक्ता श्री बंजारे द्वारा निवेदन किया है कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदिका श्रीमती अर्चना झा पत्नी श्री बद्रीनारायण झा के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है इस कारण वे निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदन के साथ विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। ईमेल किये गए आवेदन एवं विक्रय पत्र की प्रति अभिलेख पर ली गई।

आवेदकगण प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं परिणमतः निष्पादन आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए।



(दीपा कटारे)

न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
न्याय छत्तीसगढ़, रायपुर